अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं० 45(III) /2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

16/8/16

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा०म०निति – 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या – 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अं०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा [illegible] थाना नं० 26 खाता नं० 312
प्लॉट नं० 2731 रकवा 0.15 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० 4 के पृष्ट संख्या 546 पर जमाबंदी रैयत रूपलाल महतो के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 16/8/16 को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचॉची

Scanned with CamScanner

11.2020

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संवंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा मुईयाचितरो मौजा नं० 26 खाता नं० 312 .. प्लॉट नं० 2731 ..... से संवंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। रकवा 0.15 के जमाबंदी भोलुम नं० 4 के पृष्ट सं० 546 में रैयत रूपलाल महतो पिता-चड़े महतो सा० – मुईयाचितरो, तोपचॉची के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। जिसका पंजी ।।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त .... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

(हस्ताक्षर) 27/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

Scanned with CamScanner

(9)

45(III) 16-17

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1 संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम रूपलाल महतो पिता चन्द्र महतो

2 जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण –

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
भुईयाँ चितरो	26	312	2731	0.154

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या NA पृष्ठ सं0 546 पर कायम है –

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 1988-89

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम गैरमजरूआ खास

6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– अज्ञात

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम – ×

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती –

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी) पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
	650669	2.3.2.98	97-98

[signature]
CO
C.G.

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 45(III) / 2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

बनाम

सूचना

रूपलाल महतो

पिता – पडू महतो

ग्राम – गुन्डाचिरो पो0

थाना – तोपचाँची जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा गुन्डाचिरो थाना नं0 26 खाता नं0 312 प्लॉट नं0 2731 रकबा 0.15 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं0 III के पंजी II भाग 4 के पृष्ठ 546 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 16/8/16 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :– 5/8/16

स्थान :– तोपचाँची

अंचल अधिकारी

तोपचँची

5/8/16

(मुहर: अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची, धनबाद)

Scanned with CamScanner